न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3371–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 21.6.2013 –पारित–व्दारा– कलेक्टर, जिला सागर– प्रकरण कमांक 29 अ 21/2012–13

1– श्रीमती रामवाई पत्नि स्व. लक्ष्मन सौर
2– सुश्री पूनावाई पुत्री लक्ष्मन सौ।
3– श्रीमती यशोदा पत्नि तुलाराम सौर
4– अन्नु, विहारी, देवेन्द्र, मुकेश नावालिक
पुत्रगण तुलाराम सौर सरपरस्त माता
श्रीमती यशोदा पत्नि तुलाराम सौर
5– सुश्री रामकुंवर वाई पुत्री तुलाराम सौर
6– देवशराज पुत्र लक्ष्मन सौर
समस्त निवासी ग्राम महादेवखेड़ी
तहसील बीना जिला सागर म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूध्द

मध्य प्रदेश शासन

--अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव
म0प्र0शासन के अभिभाषक श्री राजेश त्रिवेदी

आदेश

(आज दिनांक 21.7 2014 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्रकरण कमांक 29 अ 21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–6–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर कार्यालय, सागर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उनके नाम ग्राम निवारी तहसील खुरई में आराजी कमांक 827 रकबा 1.290 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) है किन्तु वह महादेवखेड़ी मे निवास करते हैं जिसके कारण ग्राम निवारी 30–35 कि.मी. दूर होने से कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं।

उनके पुत्र एंव भाई तुलाराम का बीमारी के चलते निधन हो गया है जिनके इलाज एंव तेरहवीं का कर्ज चुकाना है एंव शेष बचे पैसे से रामवाई का इलाज करायेंगे एंव तुलाराम के नावालिक बच्चे की शिक्षा के साथ विवाह पर खर्च करेंगे जिसके कारण भूमि विकय की अनुमति दी जावे। आवेदकों के आवेदन की जांच नायव तहसीलदार खुरई व्दारा की जाकर अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से कलेक्टर सागर ने आदेश दिनांक 21–6–13 पारित कर विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगणों के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण की पटटे की नहीं है 'पैत्रिक भूमि है जो भूमिस्वामी स्वत्व पर है। भूमि को काविलकास्त बनाने के प्रयास किये गये काफी धन व्यय किया गया किन्तु भूमि उत्रबड़ खाबड़ एंव पथरीली होने से मेहनत बेकार सावित हुई। कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया कि आवेदकगण 30–40 वर्ष से ग्राम महादेवखेड़ा में बस गये हैं वादग्रस्त भूमि वहां से 30–35 किलो मीटर दूर है खेती करने एंव रखवाली करने में असुविधा है। परिवार की सुविधा एंव पैसों की आवश्यकता को देखते हुये बेकार भूमि को बाजिव दामों में विकय करने की अनुमति मांगी गई थी जिसे निरस्त करने में कलेक्टर महोदय ने भूल की है उन्होंने विकय अनुमति आवेदन स्वीकार किये जाने की मांग की गई। म0प्र0शासन के अभिभाषक ने कलेक्टर के आदेश को यथोचित ठहराते हुये आदिवासियों की भूमि विकय से बर्जित होने का तर्क दिया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदकगण के नाम ग्राम निवारी तहसील खुरई में आराजी कमांक 827 रकबा 1.290

हैक्टर, जो पैत्रिक होकर पटटे की भूमि नहीं है तथा शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है। आवेदकगण का विकय अनुमति आवेदन तहसील न्यायालय में जांच हेतु भेजा गया है जिस पर नायव तहसीलदार खुरई ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 30.11.12 प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि आवेदकगण ग्राम में निवास नहीं करते है ग्राम से 40 किलो मीटर दूर निवास करते हैं। जांच के दौरान ग्राम पंचायत को सूचना भेजी गई है, ग्राम पंचायत निवारी ने प्रस्ताव/ठहराव दिनांक 27.9.12 से भूमि विकय पर आपत्ति नहीं होना बताया है। नायव तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन के कालम नंबर 13 में अंकित किया है भूमि का विकय सदभावना पूर्वक है तथा भूमि पटटे की न होकर पैत्रिक है। अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष जांच प्रतिवेदन गया है उन्होंने जांच प्रतिवेदन में खामियॉ बताकर पुनः जांच हेतु प्रकरण नायव तहसीलदार को वापिस किया है और तहसीलदार खुरई ने जो कमियॉ बताई गई थी, पूर्ति कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी खुरई को भेजा है अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने प्रतिवेदन दिनांक 23–5–13 में अंकित किया है कि आवेदकगणों की भूमि पैत्रिक है एंव पटटे की नहीं है प्रकरण कलेक्टर को अग्रेषित कर दिया, जिस पर से कलेक्टर सागर ने आदेश दिनांक 21–6–13 पारित कर विकय अनुमति आवेदन खारिज कर दिया।

6/ उपरोक्त पद 5 में की गई विवेचना एंव जांच में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगणों की पैत्रिक भूमि है एंव पटटे की नहीं है, इसके पूर्व यह भूमि आवेदकगणों के पिता एंव पति के नाम अंकित रही है। पटवारी हलका नंबर 3 व्दारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10–9–12 में बताया है कि भूमि पटटे की न होकर खरीदी गई भूमि है अर्थात वादग्रस्त भूमि को आवेदकगण के पिता/पति ने अथवा उसके पूर्वजों ने कय की है तब आवेदकगण के ग्राम निवारी में निवासरत न रहने एंव 40 किलोमीटर दूर के

गॉव महादेवखेड़ा में निवासरत होने से उनके निष्प्रयोज्य की भूमि के विकय अनुमति देने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन है –

आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य तथा एक अन्य 2013 रा. नि. 8 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :–
भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 165 (7–ख) में यह उल्लेख नहीं है कि भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगी। इस धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी व्दारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विकय के विषय में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के सम्बन्ध में नया दायित्व श्रृजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है, अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

जो भूमिस्वामी अधिकार 1978 में दिये गये , संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत छीने नहीं जा सकता। भूमिस्वामी को विकय करने का निहित अधिकार है उनके अधिकार संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतः स्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित हैं और संहिता की धारा 158 (3) की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि यह 28–10–1992 के सॅशोधन व्दारा अंतः स्थापित की गई है।

प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 278–दो–2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16 जुलाई 2010 में यही निष्कर्ष दिये हैं कि 10 वर्ष पश्चात् पटटाधारी भूमिस्वामी हो जाने के वाद भूमि विकय कर सकता है और भूमि विकय के पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

वादग्रस्त भूमि पटटे की भूमि न होकर आवेदकगण के पूर्वजों व्दारा कय की गई भूमिस्वामी स्वत्व होने से एंव आवेदकगण के परिवार में उपजी परिस्थितियों के कारण विकय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्र.क. 29 अ 21/2012–13 में पारित आदेश दि. 21–6–13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगणों को ग्राम निवारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 827 रकबा 1.290 हैक्टर विकय पत्र संपादित होने के दिनांक को शासन व्दारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,ग्वालियर